राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
60वीं बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2017
कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 60वीं बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2017 को श्री एस. रामास्वामी, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, अपर सचिव (समाज कल्याण), उत्तराखंड शासन, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड तथा महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, समस्त बैंक एवं शासकीय विभागों के शीर्ष अधिकारियों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों / बीमा कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

श्री अजीत कुमार ठाकुर, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने मंचासीन अतिथियों, राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारीगण के साथ भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनियों एवं बैंकों के उच्च अधिकारियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **60वीं बैठक** में पधारने पर स्वागत एवं अभिनन्दन किया। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में समस्त बैंकों द्वारा किए गए विशेष कार्यों एवं उपायों से सदन को अवगत कराया।

बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करना :

अध्यक्ष महोदय द्वारा राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया कि बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने संबंधित सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन से पूर्व एक उप-समिति का गठन किया जाए जिसमें राजस्व विभाग, एन.आई.सी. एवं प्रमुख बैंकों तथा उनकी कुछ शाखाओं के प्रतिनिधि होंगे। उप-समिति में ऑन-लाइन प्रभार से संबंधित सभी तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की जाए एवं सॉफ्टवेयर के प्रायोगात्मक परीक्षण के उपरांत ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में रख क्रियान्वयन से पूर्व मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाया जाए।

वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाईलिंग :

राजस्व विभाग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इस विषयक एन.आई.सी. के सहयोग से सॉफ्टवेयर तैयार करना प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों की राजस्व विभाग के वेबपोर्टल पर ऑन-लाइन फाईलिंग की प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व उप-समिति की बैठक में राजस्व विभाग, एन.आई.सी. तथा बैंक अधिकारियों द्वारा इस

विषयक आने वाली सभी समस्याओं एवं सुझावों पर विस्तृत चर्चा की जाए, जिससे कि भविष्य में इस संदर्भ में कोई समस्या न आए। साथ ही समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि वे दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक अनिवार्य रूप से तहसील स्तर पर वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान कराकर इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

<u>₹ 5.00 लाख तक के बैंक कृषि ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क पर छूट</u> :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में कृषि क्षेत्र के ₹ 5.00 लाख तक के बैंक ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क पर छूट प्रदान करने संबंधी निर्णय शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

<u>आरसेटी</u> :

सहायक महाप्रबंधक (लीड बैंक), भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली द्वारा शासन को अवगत कराया गया कि टिहरी जिले में आरसेटी भवन हेतु आबंटित भूमि को निर्माण के लिए विकसित करने की लागत बहुत ज्यादा होने के कारण चयनित भूमि में परिवर्तन की आवश्यकता है। चम्पावत और रुद्रप्रयाग जिले में भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि आरसेटी संस्थान को हस्तांतरित होना अभी प्रतीक्षित है। संबंधित जिलाधिकारियों के स्तर से इस विषय में त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। शासन द्वारा अवगत कराया गया कि आरसेटी संस्थानों द्वारा बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों पर व्यय की लम्बित बकाया राशि की प्रतिपूर्ति शीघ्र ही कर दी जाएगी।

<u>फसल बीमा योजना</u> :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लि. को निर्देशित किया गया कि बीमित किसानों के अद्यतन विवरण से सदन को अवगत कराएं। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2016 के अंतर्गत प्राप्त सूचना के अनुरूप वर्तमान तक 73,381 कृषकों की फसल बीमित की जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष 53,845 से अधिक है। साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2016-17 के अंतर्गत अब तक 7,297 कृषकों की फसल बीमित किए जाने की सूचना कार्यालय को प्राप्त हुई है। संबंधित अधिकारी द्वारा यह भी सूचित किया गया कि इस विषयक आँकड़ों के संकलन का कार्य प्रगति पर है तथा पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर वास्तविक प्रगति उपलब्ध कराया जाना संभव होगा।

<u>किसानों की आय दोगुना करना – वर्ष 2022 तक</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा नाबार्ड को निर्देशित किया गया कि किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने संबंधी भारत सरकार से जारी दिशानिर्देश शासन को उपलब्ध कराए जाएं, जिसका अध्ययन

करने के पश्चात ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उचित कार्ययोजना तैयार किया जाना संभव एवं व्यवहार्य होगा।

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा योजनांतर्गत लम्बित 687 ऋण आवेदन पत्रों की संख्या को गम्भीरता से लेते हुए बैंकों को निर्देशित किया कि वे माह फरवरी, 2017 के अंत तक अनिवार्य रूप से इनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें जिससे कि वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके। अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग से संबंधित 302 स्वयं सहायता समूहों के खाते विभिन्न बैंकों (पंजाब नेशनल बैंक – 70, नैनीताल जिला सहकारी बैंक - 60, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक – 58, पंजाब एण्ड सिंध बैंक – 37, भारतीय स्टेट बैंक – 33, जिला सहकारी बैंक – 10, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया – 08, बैंक ऑफ बड़ौदा – 06, देना बैंक – 05, इलाहाबाद बैंक – 04, केनरा बैंक – 03, इण्डियन बैंक – 03, आई.डी.बी.आई. बैंक – 03, बैंक ऑफ इण्डिया – 02) में खुलने हेतु लम्बित हैं। संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया कि दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक अनिवार्य रूप से उक्त खातों को खोलना सुनिश्चित करें।

<u>स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किए जाएं। साथ ही बैंकों को निर्देशित किया गया कि योजनांतर्गत लम्बित समस्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण अनिवार्य रूप से माह फरवरी, 2017 के अंत तक कर दिया जाए।

<u>एम.एस.एम.ई. ऋण</u> :

अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में दिसम्बर, 2016 त्रैमास के दौरान एम.एस.ई. सेक्टर के अंतर्गत ऋण प्राप्त इकाइयों की संख्या में लगभग 6,000 की कमी आयी है, जिस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को बताया गया कि यह कमी जिला सहकारी बैंक के आँकड़ो में विसंगति के कारण आयी है तथा संबंधित बैंक एवं अन्य सभी बैंक आगामी एस.एल..बी.सी. विवरणी में उचित एवं तथ्यपरक आँकड़ों का प्रेषण करना सुनिश्चित करें। अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में वित्त पोषण बढ़ाने के लिए अधिकाधिक ऋण वितरित करें। बैंकों द्वारा एम.एस.ई. सेक्टर में बढ़ते एन.पी.ए. को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन से इस विषय में सहयोग की अपेक्षा की गयी, जिस पर उनके द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि यदि बैंक उनसे संपर्क करते हैं तो उनके द्वारा हर संभव सहयोग किया जाएगा।

अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा सदन को यह भी अवगत कराया गया कि कतिपय बैंक शाखाओं द्वारा प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का विवरण "**Loan Application Received & Disposal Register**" में प्रविष्ट नहीं किया जा रहा है। इस क्रम में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून द्वारा बैंकों को पुन: निर्देशित किया गया कि शाखाओं में प्राप्त समस्त ऋण आवेदन पत्रों को प्रोसेस करने से पूर्व उनकी प्रविष्टि "**Loan Application Received & Disposal Register**" में की जाए। ऋण आवेदन पत्र निरस्त करने का कारण उक्त रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएं तथा बैंक उच्चाधिकारी शाखा निरीक्षण के दौरान इसकी जाँच करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी बैंक त्रैमासिक आधार पर प्राप्त ऋण आवेदन पत्र, स्वीकृत आवेदन पत्र, निरस्त आवेदन पत्र तथा लम्बित आवेदन पत्र की संख्या से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा योजनांतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 30 प्रतिशत की प्राप्ति को गम्भीरता से लेते हुए सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वे विशेष कार्ययोजना बनाकर वित्तीय वर्ष की शेष बची अवधि में अधिकाधिक ऋण वितरित करें। अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उनके एसोसिएशन द्वारा 3 जिलों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों के संकलन हेतु कैम्प लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें बैंकों से सहयोग की अपेक्षा है। इस क्रम में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम</u> :

संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पी.एम.ई.जी.पी. पोर्टल के अनुरूप वर्तमान तिथि तक बैंक शाखाओं में लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या 1,317 है जबकि एस.एल.बी.सी. विवरणी में बैंकों द्वारा लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या मात्र 107 दर्शायी गयी है। सभी बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि वे इस विसंगति को दूर करने हेतु अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को जिला स्तर पर योजनांतर्गत नोडल एजेन्सी जिला उद्योग केंद्र के साथ मिलान करने एवं लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करने हेतु उचित दिशानिर्देश जारी करें। बैंक नियंत्रकों को यह भी निर्देशित किया गया कि लम्बित आवेदन पत्रों के अविलम्ब निस्तारण हेतु वे अपने स्तर से लगातार निगरानी करें, जिससे कि योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा बैंकों को यह भी अवगत कराया गया कि स्वीकृत / वितरित ऋणों में अनुदान राशि ऑन-लाइन प्रविष्टि के उपरांत ही बैंक शाखाओं को प्राप्त हो पाएगी। अत: सभी बैंक अनिवार्य रूप से 31 मार्च, 2017 तक स्वीकृत / वितरित / निरस्त आवेदन पत्रों का ऑन-लाइन निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना:

अपर सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत आवेदन पत्रों का ऑन-लाइन प्रेषण एवं मॉनिटरिंग हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसी क्रम में उनके द्वारा बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी समस्त शाखाओं का आई.एफ.एस.सी. कोड उनके कार्यालय को ई.-मेल (**aceoutdb.hq@gmail.com**) पर उपलब्ध कराएं। अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि योजनांतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण करें, जिसकी निगरानी संबंधित नियंत्रकों द्वारा की जाए। अपर सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड शासन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अल्मोड़ा जिले में **"होम स्टे योजना"** के अंतर्गत विभिन्न बैंक शाखाओं में 17 ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान तक मात्र 04 आवेदन पत्रों पर ही ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इस संदर्भ में अग्रणी जिला प्रबंधक, अल्मोड़ा को निर्देशित किया गया कि वे शेष ऋण आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

स्टैण्ड अप इण्डिया :

योजनांतर्गत निर्धारित न्यूनतम वार्षिक लक्ष्य **3,954** के सापेक्ष बैंकों द्वारा मात्र **292** लाभार्थियों को ऋण प्रदान किए जाने को गम्भीरता से लेते हुए सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी नियंत्रणाधीन उन सभी शाखाओं से स्पष्टीकरण मांगे जिन्होंने अभी तक इस योजना के तहत एक भी ऋण वितरित नहीं किया है। सभी बैंक नियंत्रक भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक शाखा हेतु निर्धारित लक्ष्य कम से कम एक महिला तथा एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समुचित दिशानिर्देश जारी करें तथा प्रत्येक शाखा द्वारा पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत कराने विषयक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी – वी.-सैट :

निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. में वी.-सैट लगाने के कार्य में हो रहे विलम्ब पर असंतोष प्रकट करते हुए कहा कि इस कार्य में देरी से वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य को सामान्य बैंकिंग सुविधाएं ऑन-लाइन उपलब्ध कराने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अत: सभी बैंक शेष बचे 710 एस.एस.ए. में संबंधित वेण्डर से समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र वी.-सैट लगाने के कार्य को पूरा करें।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना :

निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा समस्त बैंकों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि समस्त प्रधानमंत्री जन-धन खातों में शत प्रतिशत आधार एवं मोबाईल

सीडिंग का कार्य पूर्ण किया जाए। साथ ही इन खातों में शत प्रतिशत रु-पे डेबिट कार्ड तथा पिन मेलर जारी कर उन्हें सक्रिय (Active) कराना भी सुनिश्चित किया जाए।

<u>बचत बैंक खातों में आधार सीडिंग</u> :

निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि समस्त बचत खातों में आधार एवं मोबाईल सीडिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। इसी क्रम में अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि **"मनरेगा योजना"** के तहत भारत सरकार से देय सब्सिडी 31 मार्च, 2017 के उपरांत केवल उन्हीं मनरेगा लाभार्थियों के लिए प्राप्त होगी जिनके खाते आधार संख्या युक्त होंगे। इस क्रम में सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि 31 मार्च, 2017 तक प्रत्येक जिले में सक्रिय मनरेगा कर्मियों के खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के स्तर पर कैम्प लगाया जाना प्रस्तावित है, जिनमें आधार सींडिंग रहित मनरेगा खातों के लाभार्थियों से सहमति पत्र प्राप्त किए जाएंगे। अत: सभी बैंक नियंत्रक तथा अग्रणी जिला प्रबंधक अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को निर्देशित करें कि वे ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त **"आधार संख्या एवं सहमति पत्र"** के आधार पर संबंधित खातों में आधार सीडिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

<u>वित्तीय साक्षरता</u> :

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने नियंत्रणाधीन ग्रामीण शाखाओं द्वारा प्रत्येक माह अपने सेवाक्षेत्र / कार्यक्षेत्र के गाँव में कम से कम एक वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करवाना सुनिश्चित करें, ताकि वित्तीय सुविधाओं से वंचित लोगों को भी जागरुक किया जा सके।

<u>के.सी.सी. कार्ड को रू-पे के.सी.सी.कार्ड में परिवर्तित करना</u> :

निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने बैंक द्वारा जारी सभी के.सी.सी. कार्ड को रू-पे के.सी.सी.कार्ड में यथाशीघ्र परिवर्तित करना सुनिश्चित करें।

<u>वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक बैंकों द्वारा कुल वार्षिक ऋण योजना का मात्र 54% तथा कृषि क्षेत्र में मात्र 38% की उपलब्धि दर्ज करने पर चिंता व्यक्त की गयी। इस क्रम में

उनके द्वारा सभी बैंक नियंत्रकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे वित्तीय वर्ष की शेष बची अवधि में ऋण वितरण की विशेष कार्ययोजना बनाकर वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उन्हें आबंटित वार्षिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।

ऋण-जमा अनुपात :

अध्यक्ष महोदय द्वारा माह दिसम्बर, 2016 की समाप्ति पर राज्य का ऋण-जमा अनुपात 52% होने को गम्भीरता से लेते हुए सभी बैंक नियंत्रकों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे उच्च स्तर पर प्रयास कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक भारतीय रिजर्व बैंक के मानक **(मैदानी जिलों हेतु 60% तथा पर्वतीय जिलों हेतु 40%)** के अनुरूप ऋण-जमा अनुपात को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

अंत में उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून अंचल द्वारा अध्यक्ष महोदय के साथ उपस्थित उत्तराखंड शासन के अन्य शीर्ष अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों, बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये तथा मीडिया बंधुओं को बैठक की कार्रवाई की कवरेज करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी बैंकों की ओर से आश्वासन दिया कि बैंक अधिक से अधिक ऋण वितरित कर, राज्य में ऋण प्रवाह में बढ़ोतरी करेंगे। साथ ही विमुद्रीकरण के उपरांत बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की एवं शासन द्वारा दिए गए विशेष सहयोग हेतु उनका प्रति आभार व्यक्त किया।

****